# राजस्थान सरकार
# वित्त विभाग
## (आय–व्ययक अनुभाग)

क्रमांक प.3(1)वित्त–1(1)आ.व्य./2004 पार्ट I                    जयपुर दिनांक : 30 मई, 2021

**समस्त विभागाध्यक्ष**
**(जिला कलक्टर सहित)**

**विषयः– कोविड–19 वैक्सीनेशन के लिए अधिकारियों द्वारा आर्थिक सहायता।**

महोदय,

राज्य में कोविड–19 के वैक्सीनेशन के महत्ती कार्य के सम्पादन में राज्य सरकार को सहयोग किये जाने हेतु विभिन्न अधिकारी संगठनों की ओर से निरन्तर प्राप्त हो रहे प्रस्तावों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि कोविड–19 वैक्सीनैशन हेतु मुख्यमंत्री सहायता कोष में राशि जमा कराने के लिए माह मई, 2021 देय जून, 2021 के मूल वेतन से निम्नानुसार कटौती की जाएगीः–

| क्र. सं. | अधिकारी सेवा अनुरूप वर्गीकरण | वेतन कटौती के लिए दिवस की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी (IAS/IPS/IFS) | तीन दिवस |
| 2 | राजस्थान प्रशासनिक सेवा, राजस्थान लेखा सेवा, राजस्थान पुलिस सेवा, राजस्थान वन सेवा, राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा के अधिकारी | दो दिवस |

यदि किन्हीं कारणों से माह मई, 2021 के वेतन से कटौती नहीं हो पाती है तो आगामी माह में यह कटौती की जा सकेगी।

आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा उक्त कटौती की राशि **बजट मद 8448–120–(07)–[11]–कोरोना वायरस (कोविड–19) के टीकाकरण हेतु सहायतार्थ** में जमा करवाई जाएगी। संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा उक्त प्रयोजन हेतु वेतन से कटौती की गई राशि का स्पष्ट उल्लेख करते हुए पृथक से कटौती विवरण पत्र संलग्न किया जाएगा। संबंधित कोषागार द्वारा उक्त मद में जमा की गई राशि को संकलित किया जाकर उसी माह में सचिवालय कोष को स्थानान्तरित किया जाएगा।

संकलित राशि की सूचना कोषाधिकारियों द्वारा प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर को भिजवाई जाएगी।

भवदीय,

(अखिल अरोरा)
प्रमुख शासन सचिव, वित्त

क्रमांक प.3(1)वित्त–1(1)आ.व्य. / 2004 पार्ट I

दिनांक : 30 ,मई, 2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक / लेखापरीक्षा) राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव, राजस्थान सरकार।
6. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर को आई.एफ.एम.एस.–पे–मैनेजर पर कटौती हेतु आवश्यक प्रावधान कराये जाने हेतु।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग को वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. समस्त कोषाधिकारी, राजस्थान को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वेतन बिलों से की गई कटौती से **बजट मद 8448–120–(07)–[11]** में जमा राशि उसी माह में कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर को राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष के पी.डी. खाते में जमा कराने हेतु हस्तान्तरित करेंगे।

**निदेशक, वित्त (बजट)**